प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **205/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Prakhar Maru Add: House no. 36, Aravali complex Kalkamata, new RTO road, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329954420676059 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6088791779 दिनांक 04.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/205/25/1239–40 दिनांक 04.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक एडीएम सिटी/रीडर/2025/393–94 दिनांक 23.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री हुक्मीचंद वगेरा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् परिवाद दिनांक 16.10.2021 का श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के समक्ष दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में पुलिस थाना सूरजपोल के इस्तगासा संख्या 80/2021 दिनांक 01.11.2021 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई। निवेदन है कि कार्यालय हाजा के पत्रांक 87 दिनांक 15.03.2024 द्वारा कार्यालय हाजा की फौजदारी पत्रावलियां दिसम्बर 2022 तक की समस्त पत्रावलियों को जिला अभिलेखागार में जमा करने एवं एक वर्ष से पुरानी पत्रावलियों को नियमानुसार नष्ट करने की सहमति प्रदान कर जाया की जा चुकी है। जिसकी सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक 329 दिनांक 04.11.2025 से अपीलाण्ट को दी जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि निर्धारित 30 दिवस की अवधि में ना तो कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई है ना ही उनके आवदेन को धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित अपीलोत्तर से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 329 दिनांक 04.11.2025 से सूचना को जाया(नष्ट) करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार निश्चित समयावधि में

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

सूचित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर